फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा

फरीदा बानो बनाम खातून बानो

मुकदमा संख्या /वर्ष 121/19 ______ /20 ______

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरदाता अनुपस्थित। वकील प्रार्थी पक्ष को उपस्थित होने हेतु न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते नियत कार्यवाही दिनांक 7/11/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	07/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरदाता उप.। वकील उत्तरदाता के आवेदन 07 R 11 CPC पर बहस की। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 21/11/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरदाता उप.। बहस उत्तरदाता पर मनन किया गया। पत्रावली व आवेदन 07 R 11 CPC व प्रमाण के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत आवेदन 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। आदेश अनु. पत्रावली हो। आवेदन 07 R 11 CPC स्वीकार होने से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 187/2014 पुनः दर्ज 121/2019

उनवान

1. फरीदा बानो पुत्री मुंशी खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी शफी खां उम्र 47 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
2. सयरा बानो पुत्री समसु खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी शकील खां
3. शबाना बानो पुत्री समसु खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी अयुब खां

समस्त उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण/वादीयागण

बनाम

1. खातुन बानो पत्नी स्व0 युसुफ खां
2. इस्लाम
3. इकराम
4. सलीम
5. अलीम

पुत्रान स्व0 युसुफ खां

6. हाजरा बेगम पत्नी अयूब खां

समस्त उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
8. नायब तहसीलदार महोदय, उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9. उपपंजीयक महोदय, उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. पटवारी महोदय, पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

11. उल्फत बानो पुत्री सुमर पौत्री छोटू खां पत्नी बशीर खां उम्र 70 वर्ष
12. शहीद खां पि0 स्व0 मुंशी खां
13. गुलाम रसूल खां स्व0 मुंशी खां
14. रहीस

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

15. हनीफ

16. शरीफ

17. खलील

पि0 समसू खां पौत्र समुर खां

18. मयिक बानो पुत्री बतुल बतून बानो नवासी स्व0 दुल्ले खां पत्नी स्व0 हमीद

19. आमीन

20. इकबाल

21. जीमल

22. शकील

23. सिराज

पुत्रान मोहम्मद खां नवासे स्व0 दुल्ले खां पुत्र छोटू खां

24. समीम बानो पुत्री मोहम्मद खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री मातादीन शर्मा वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामगोपाल कुमावत वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :–21/11/24

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री मातादीन शर्मा के द्वारा दिनांक 15.10.2015 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मुख्य रूप से उत्तराधिकार का प्रश्न अन्तर्निहित है तथा प्रार्थीयागण/वादीयागण ने उत्तराधिकार के आधार पर ही प्रश्नगत आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य अनुतोष उत्तराधिकार का है तथा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष Ancillary relief है। मुख्य रिलीफ उत्तराधिकार से संबंधित बिन्दु अन्य रूप से सिविल कोर्ट के श्रवणयोग्य है तथा तत्संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानूनन रूप से बाधित है। इस कारण वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र टी.आई. सरसरी रूप से ही खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां आंशिक अनुतोष सिविल कोर्ट के श्रवण योग्य है तथा आंशिक अनुतोष राजस्व न्यायालय के श्रवणयोग्य है, ऐसी सूरत में वाद कानूनन रूप से सिविल न्यायालय के द्वारा श्रवण योग्य होता है। इस कारण भी वाद–पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि प्रस्तुत प्रकार का आवेदन पत्र वाद एवं प्रार्थना–पत्र टी.आई. की किसी भी प्रक्रम पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कि क्षेत्राधिकार विहिन न्यायालय द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही Nullity होती है, इस कारण उभय पक्षकारान् के तथा न्यायालय श्रीमान् का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद ना होवे इस उद्देश्य भी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

है। यह कि सम्पूर्ण परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतएव प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र सरसरी रूप से खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

वकील वादी/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना–पत्र का जिमन नंबर 2 जिस प्रकार जाहिर किया गया है गलत है एवं अस्वीकार है। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जो कि इनकी पैतृक सम्पति वर्णित वाद पत्र के जिमन नंबर 1 व प्रार्थना–पत्र के जिमन नंबर 2 आराजी मुतनाजा पूर्वजों की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है जो कि मृतक छोटू का पुत्र सुमर खां के नाम सवत 2007 से 2028 की जमाबंदी में व उसके बाद की खसरा गिरदावरियों में दर्ज रही है इसलिये उक्त भूमि की घोषणा खोतदारी हेतु वादीयागण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण में कानून किसी भी रूप से उत्तराधिकार का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है, खुलवास विशेष विवरण में दर्ज है। यह कि प्रार्थना–पत्र का जिमन नंबर 3 गलत है एवं अस्वीकार है वादीयागण द्वारा पेश वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष का मुख्य बिन्दू निहित है। यह प्रार्थना–पत्र का जिमन नंबर 4 गलत है एवं अस्वीकार है प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा डिकी उदघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत् मुख्य रिलिफ चाही है जिसका राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित है व खातेदारी से संबंधित घोषणा का अधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को ही निहित है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी रूप से खारिज किया जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र की समस्त जवाब देही से बचने के लिये व प्रकरण को देरीना करने की बदनियति से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर कतई चलने योग्य नहीं है। वकील वादीगण/ अप्रार्थीगण ने विशेष विवरण में में कथन किया कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संबंधित कानून की पूर्ति नहीं करता है इसलिये सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में बने कानूनी प्रावधानों के तहत पेश किया है, जिसमें विवादित आराजी खसरा नंबर 3675, 3676, 3680, 3682 कुल किता 4, 5 बीघा 2 बिस्वा जो कि वादीयागण के पूर्वज व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज छोटू खा पुत्र जीवण खा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही थी, जिसे प्रतिवादीगण के पूर्वज मुनीर खा पुत्र अली खां ने फर्जीवाडा करके छोटू खा पुत्र जीवण खां को लावल्द फौत बताकर फर्जी तरीके से अपने नाम खुलवा ली जिसके संबंध में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र मुख्य अनतोष बाबत श्रीमान के समक्ष वादीगण ने पेश किया है जिसको सुनवाई का जिसको सुनवाई का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है इसके अलावा वादीगण ने प्रस्तुत वाद पत्र पेश करने के बाद दिनांक 24.12.2024 को प्रतिवादीगण की उपस्थित के बाद दो वर्षो तक वाद पत्र का जवाब पेश नहीं किया, इसलिये यह बखूबी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण प्रकरण में देरीना करने की बदनियती से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थना–पत्र सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। अतएव श्रीमानजी प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया कि वाद एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मुख्य रूप से उत्तराधिकार का प्रश्न अन्तर्निहित है तथा प्रार्थीयागण/वादीयागण ने उत्तराधिकार के आधार पर ही प्रश्नगत आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

है। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य अनुतोष उत्तराधिकार का है तथा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष Ancillary relief है। मुख्य रिलीफ उत्तराधिकार से संबंधित बिन्दु अन्य रूप से सिविल कोर्ट के श्रवणयोग्य है तथा तत्संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानूनन रूप से बाधित है। इस कारण वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र टी.आई. सरसरी रूप से ही खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां आंशिक अनुतोष सिविल कोर्ट के श्रवण योग्य है तथा आंशिक अनुतोष राजस्व न्यायालय के श्रवणयोग्य है, ऐसी सूरत में वाद कानूनन रूप से सिविल न्यायालय के द्वारा श्रवण योग्य होता है। इस कारण भी वाद–पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह कि प्रस्तुत प्रकार का आवेदन पत्र वाद एवं प्रार्थना–पत्र टी.आई. की किसी भी प्रकम पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कि क्षेत्राधिकार विहिन न्यायालय द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही Nullity होती है, इस कारण समय पक्षकारान् के तथा न्यायालय श्रीमान् का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद ना होवे इस उद्देश्य भी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि सम्पूर्ण परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 200 7(1)RRT-723 (RHC), 2019 RBJ – 418, 2017 RBJ 757, 2003 (1) DNJ (SC)-107, 2016(3) RJT-1832 RELEVANT ON PAGE 1835, 2014 RBJ-663 (RHC), 2021(1)RRT-535, 2020(2)RRT-1200 (SC) पेश किये।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रकरण भिन्न होने से प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ड). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

आदेश

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दू सं0 2, 4 व 5 में इंगित किया कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से उत्तराधिकार का प्रश्न अन्तर्निहित है तथा वादीयागण ने उत्तराधिकार के आधार पर ही प्रश्नगत आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। मुख्य रिलिफ उत्तराधिकार से संबंधित बिन्दू अन्य रूप से सिविल कोर्ट के श्रवण योग्य है तथा

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तत्संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानूनन रूप से बाधित है वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जहां आंशिक अनुतोष सिविल कोर्ट के श्रवण योग्य है तथा आंशिक अनुतोष राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य है, ऐसी सूरत में वाद कानूनन रूप से सिविल न्यायालय के द्वारा श्रवण योग्य होता है। वकील अप्रार्थी/ वादीयागण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में इंगित किया कि प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, उक्त वाद में उत्तराधिकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं खातेदारी से संबंधित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। पत्रावली का अवलोकर किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अप्रार्थी/ वादीयागण द्वारा चाहा गया अनुतोषउत्तराधिकार के प्रश्न से संबंधित है और उत्तराधिकार से संबंधित प्रकरणों का निष्पादन व सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रस्तुत वाद – पत्र में चाहा गया अनुतोष उत्तराधिकार के संबंध में होने से एवं उत्तराधिकार से संबंधित वाद का निष्पादन एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होने से प्रस्तुत वाद – पत्र विधि द्वारा वर्जित है। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज किया जाता है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/11/24 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला जयपुर) ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 187/2014 पुनः दर्ज 121/2019

उनवान

1. फरीदा बानो पुत्री मुंशी खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी शफी खां उम्र 47 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
2. सयरा बानो पुत्री समसु खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी शकील खां
3. शबाना बानो पुत्री समसु खां पौत्री सुम्मर खां पत्नी अयुब खां
   समस्त उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण/वादीयागण

बनाम

1. खातुन बानो पत्नी स्व0 युसुफ खां
2. इस्लाम
3. इकराम
4. सलीम
5. अलीम
   पुत्रान स्व0 युसुफ खां
6. हाजरा बेगम पत्नी अयूब खां
   समस्त उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
8. नायब तहसीलदार महोदय, उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
9. उपपंजीयक महोदय, उपतहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
10. पटवारी महोदय, पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

11. उल्फत बानो पुत्री सुमर पौत्री छोटू खां पत्नी बशीर खां उम्र 70 वर्ष
12. शहीद खां पि0 स्व0 मुंशी खां
13. गुलाम रसूल खां स्व0 मुंशी खां
14. रहीस
15. हनीस
16. शरीफ
17. खलील
    पि0 समसू खां पौत्र समुर खां
18. मयिक बानो पुत्री बतुल बतून बानो नवासी स्व0 दुल्ले खां पत्नी स्व0 हमीद
19. आमीन
20. इकबाल

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

21. जीमल
22. शकील
23. सिराज
पुत्रान मोहम्मद खां नवासे स्व0 दुल्ले खां पुत्र छोटू खां
24. समीम बानो पुत्री मोहम्मद खां
समस्त जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री मातादीन शर्मा वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामगोपाल कुमावत वकील अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :— 21/11/24

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी / वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

उक्त डिक्री आज तारीख 21/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर ([illegible]क)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह — व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	